अध्याय–IV

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय- IV
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.1 जुर्माना राशि की वसूली नहीं होने के कारण राजस्व हानि

पटना नगर निगम द्वारा स्व निर्धारण योजना के तहत् होल्डिंग का मूल्यांकन नही किए जाने के कारण/ गृह स्वामी से जुर्माना वसूल नहीं किए जाने से राजस्व की हानि, ₹ 0.60 करोड़।

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (मूल्यांकन, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 14 में प्रावधान है कि: (i) हर उस होल्डिंग का स्वामी जिसके होडिंग कर का निर्धारण पूर्व में नहीं हुआ हो, इन नियमों के अधिसूचित (8 मई 2013) होने के तीन माह के अंदर अपने होल्डिंग कर का स्वनिर्धारण करते हुए होल्डिंग कर की गणना करेगा तथा होल्डिंग कर का भुगतान नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका को करेगा। (ii) परंतु कोई करदाता विहित समय के अंदर अपनी होल्डिंग कर का स्वनिर्धारण कर नगरपालिका को भुगतान करने में असफल रहता है तो आवासीय संपत्ति पर ₹ 2000 और अन्य सभी संपत्तियों पर ₹ 5000 जुर्माना भुगतेय होगा। बिहार नगरपालिका सशक्त स्थायी समिति (स.स्था.स.) कार्य संचालन नियमावली, 2010 के नियम 10 के अनुसार नगरपालिका की कार्यपालक शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित होगी। आगे, नियम 10(4)(क) के अनुसार सशक्त स्थायी समिति, कोई विषय/मुद्दे जो नियमावली, विधि या राज्य सरकार के निर्देश के विरूद्ध हो, के संबंध में कोई विचार और प्रस्ताव पारित नहीं करेगा।

पटना नगर निगम के अभिलेखों (फरवरी से जुलाई 2021) की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

- पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी को अगस्त 2017 तक एक ग्रामीण क्षेत्र के रूप में माना जा रहा था। पटना नगर निगम ने कॉलोनी को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत् एक शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित (सितंबर 2017) किया और तीन नए नगरपालिका वार्ड (22 क, 22 ख और 22 ग) का गठन किया। पटना नगर निगम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान इन नवगठित वार्डों में 11,729 होल्डिंग (रिक्त भूमि सहित) थी।

- इन 11,729 होल्डिंग के मालिक, वार्डों के गठन संबंधी अधिसूचना जारी होने के तीन माह के निर्धारित समय के भीतर अपनी होडिंग का स्व–मूल्यांकन करने में विफल रहे। तद्नुसार, पटना नगर निगम को इन होल्डिंग्स के मालिकों से कम से कम 2.35 करोड़[54] का जुर्माना वसूल करना था। पटना नगर निगम ने स्पैरो सॉफ्टेक प्रा0 लिमिटेड को होल्डिंग टैक्स और जुर्माना राशि,

[54] *11729 होल्डिंग X ₹ 2000 प्रति होल्डिंग = ₹ 2,34,58,000*

यदि कोई हो, के संग्रह के लिए अधिकृत किया था। पटना नगर निगम और स्पैरो के बीच निष्पादित एकरारनामा के अनुसार एकत्रित राजस्व का 6.5 प्रतिशत से 9.4 प्रतिशत स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को संग्रहण शुल्क (कमीशन) के रूप में भुगतान किया जाना था। अप्रैल 2021 तक पटना नगर निगम ने 11,729 होल्डिंग्स में से 6,663 से होल्डिंग टैक्स वसूल किया। इन 6,663 होल्डिंग्स (जिन्होंने होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया था) में से केवल 3,654 होल्डिंग्स से होल्डिंग्स के स्वनिर्धारण में विलम्ब के लिए जुर्माना वसूल किया गया था। इस प्रकार, पटना नगर निगम 3,009 होल्डिंग्स से ₹ 60.18 लाख[55] का न्यूनतम जुर्माना राशि वसूल करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर एजेंसी[56], जिसे होल्डिंग टैक्स सहित जुर्माना राशि की वसूली का कार्य पटना नगर निगम द्वारा सौंपा गया था, ने उत्तर दिया (अप्रैल 2021) कि दण्ड राशि वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद और पदाधिकारियों ने निर्धारित समय के भीतर होल्डिंग का स्व–मूल्यांकन नहीं करने वाले होल्डिंग के मालिकों से जुर्माना वसूल नहीं करने का फैसला किया था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पटना नगर निगम के पास ऐसा कोई विषय/मुद्दे जो नियमावली, विधि या राज्य सरकार के निर्देश के विरूद्ध हो, के संबंध में कोई विचार और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं था। हाँलाकि, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि मामले की जाँच की जाएगी और तद्नुसार कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। लेकिन, लेखापरीक्षा द्वारा स्मारित किए जाने के बावजूद नवंबर 2022 तक आगे कोई प्रतिक्रिया/सूचना नहीं दी गई।

इस प्रकार, पटना नगर निगम निर्धारित समय के भीतर होल्डिंग टैक्स के निर्धारण और संग्रहण के संबंध में नगरपालिका संपत्ति कर नियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा जिससे कम से कम ₹ 60.18 लाख के राजस्व की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (दिसम्बर 2021) किया गया तथा 11 अक्टूबर 2022 को स्मार पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है।

---

[55] *₹ 2000 X 3,009 = ₹ 60,18,000*

[56] *स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, पटना–पी.एम.सी. ने स्पैरो सॉफ्टेक प्रा0 लिमिटेड को होल्डिंग टैक्स और जुर्माना, यदि कोई हो, के संग्रह के लिए अधिकृत किया था।*

4.2 उपभोक्ता शुल्क की वसूली नही होने से राजस्व की हानि

पटना नगर निगम (प.न.नि.) द्वारा घर–घर कचड़ा संग्रहण सेवाएँ प्रदान करने हेतु उपभोक्ता शुल्क की वसूली में विफल होने के कारण कम से कम ₹ 8.92 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

बिहार नगरपालिका अधिनियम (बि.न.अ.), 2007 की धारा 128 के अनुसार नगरपालिका नागरिकों को विभिन्न प्रकार[57] की सेवाएं प्रदान करने के लिए उपभोक्ता शुल्क वसूल करेंगी। इसके अलावा, सरकार नगरपालिकाओं को उपभोक्ता शुल्क अधिरोपित करने का निर्देश दे सकती है, यदि वे नगरपालिकाओं द्वारा नहीं लगाए या स्थगित किए जाते हैं।

पटना नगर निगम के अभिलेखों (फरवरी से जुलाई 2021) की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए:

पटना नगर निगम ने जनवरी 2019 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर घर कचरा संग्रहण हेतु 14 विभिन्न प्रकार की होल्डिंग[58] के लिए ₹ 30 से ₹ 5000 प्रतिमाह की सीमा के भीतर उपभोक्ता शुल्क निर्धारित (अप्रैल 2019) किया था जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के लिए 'शून्य' राशि भी शामिल थी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 2,06,570 होल्डिंग्स (798 होल्डिंग्स रिक्त थे) और वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 2,27,231 होल्डिंग्स थे जिनसे उपभोक्ता शुल्क संग्रह किया जाना था। हाँलाकि, पटना नगर निगम ने जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए इन सभी होल्डिंग्स से उपभोक्ता शुल्क संग्रह नहीं किया। चूंकि पटना नगर निगम ने आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य प्रकार के होल्डिंग्स की संख्या का विवरण अलग से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया, उपभोक्ता शुल्क की मांग की गणना करते समय, निर्धारित न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क अर्थात् ₹ 30 प्रति होल्डिंग प्रतिमाह, पर विचार किया गया और यह पाया गया कि जनवरी 2019 से मार्च 2020 की अवधि में घर–घर कचड़ा संग्रहण सेवाएं प्रदान करने के लिए पटना नगर निगम को उपभोक्ता शुल्क के रूप में न्यूनतम ₹ 10.04 करोड़[59] की प्राप्ति होती। हाँलाकि, उपभोक्ता शुल्क की न्यूनतम माँग ₹ 10.04 करोड़ के विरूद्ध अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि में मात्र ₹ 1.12 करोड़ का संग्रहण किया जा सका।

---

[57] *(1) जलापूर्ति, जल निकास और मल की व्यवस्था, (2) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (3) विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न अवधियों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग (4) सार्वजनिक पथों पर किसी भी प्रकार के निर्माण, फेरबदल, मरम्मत अथवा ध्वंस करने के कार्य के लिए सामग्री या कचरे का अंबार लगाना और (5) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे दरों पर दिए जाने वाले अन्य विशिष्ट सेवाओं जिसे समय समय पर नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जा सके*

[58] *आवासीय भवनों के लिए ₹ 30, दुकानों के लिए ₹ 100, रेस्टॉरेंट के लिए ₹ 500, स्टार होटल के लिए ₹ 5000 आदि*

[59] *2,06,570 होल्डिंग्स x ₹ 30 प्रतिमाह x 3 माह (जनवरी 2019 से मार्च 2019) = ₹1,85,91,300 एवं 2,27,231 होल्डिंग्स x₹30 प्रतिमाह x 12 माह (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) = ₹ 8,18,03,160 इस प्रकार, कुल = ₹ 10,03,94,460*

इस प्रकार, पटना नगर निगम अक्टूबर 2018 एवं उसके बाद से घर–घर कचड़ा संग्रहण सेवाएँ प्रदान करने के बावजूद उपभोक्ता शुल्क वसूल करने में विफल रहा और कम से कम ₹ 8.92 करोड़[60] के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (जुलाई 2021) और कहा कि वित्तीय वर्ष 2020–21 से घर–घर कचड़ा संग्रहण के लिए उपभोक्ता शुल्क प्रारंभ किया गया था।

इस प्रकार, पटना नगर निगम ने घर–घर से कचड़ा संग्रहण की सेवाएं प्रदान करने के लिए, उपभोक्ता शुल्क के संग्रह के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जिसके फलस्वरूप कम से कम ₹ 8.92 करोड़ के स्वयं के राजस्व की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (दिसंबर 2021) किया गया तथा 13 अक्टूबर 2022 को स्मार पत्र जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है।

4.3 आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण अधिक भुगतान

परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) को किए गए परामर्श शुल्क के भुगतान पर नजर रखने में पटना नगर निगम विफल रहा जिसके फलस्वरूप (क) ₹ 46.19 लाख का अधिक भुगतान व (ख) पी.एम.यू. को ₹ 12.32 लाख के सेवा कर का अनियमित भुगतान हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक नियंत्रण पदाधिकारी को न केवल इस विषय में अपना समाधान कर लेना चाहिए कि विभागीय संघटन में सुव्यवस्थित आंतरिक जाँच के लिय पर्याप्त उपबंध हैं ताकि अधीन पदाधिकारियों की वित्तीय कार्यवाहियों में भूल और अनियमितता रोकी और पकड़ी जा सके तथा लोक–धन और सामग्रियों के अपव्यय और हानि से रक्षा हो सके, बल्कि यह भी कि विहित नियंत्रण प्रभावी रूप से लागू है। बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली (बी.एम.ए.आर.), 2014 के नियम 12 में प्रावधान है कि लेखापाल द्वारा एक रोकड़ बही का संधारण किया जायेगा जिसमें नगरपालिका की नकद प्राप्तियों एवं संवितरण से संबंधित लेन–देन दर्ज किये जायेंगे तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी प्रविष्टियों और रोकड़ बही में अंतिम शेष की जाँच करेंगे और उक्त जाँच के साक्ष्य के रूप में अपना हस्ताक्षर करेंगे। आगे, बी.एम.ए.आर. के नियम 10 के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका प्रत्येक निधि के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अलग–अलग लेखा बही संधारित करेंगे। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना (जून 2012) के अनुसार प्रति घर 60 वर्गमीटर कारपेट एरिया तक के कम लागत वाले घरों के संरचना, परिनिर्माण, कमीशनिंग आदि पर सेवाकर में लोकहित में छूट दी गई थी।

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने स्लम मुक्त भारत के दृष्टिकोण के साथ शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में आवास (32 वर्ग मीटर क्षेत्र वाली आवासीय इकाईयाँ), बुनियादी नागरिक अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं के सुधार तथा

[60] *₹10.04 करोड़ –₹1.12 करोड़ = ₹8.92 करोड़*

प्रावधान के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना– राजीव आवास योजना प्रारंभ किया (जून 2011)। योजना को मिशन मोड में लागू किया जाना था और मिशन को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था।

पटना नगर निगम (प.न.नि.) के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2021) से पता चला कि प.न.नि. को शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से योजना को पटना नगर निगम के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले 1,820 लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन हेतु चरण I और II के तहत् ₹ 26.50[61] करोड़ प्राप्त (अप्रैल 2015 से सितंबर 2018 तक) हुआ था। पटना नगर निगम ने सरयू बाबू इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड (एस.बी.ई. एन.जी.) को इस योजना के कार्यान्वयन में सुविधा के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने किफायती आवास परियोजनाओं (तीन चरणों में लागू) के कार्य में सहूलियत एवं मार्च 2018 तक पूर्ण करने में सहायता के प्रावधान हेतु एस.बी.ई.एन.जी. के साथ एक एकरारनामा सम्पादित (मार्च 2016) किया। विभाग के निर्देशों के अनुसार (फरवरी 2015) परियोजना के चरण–III को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। हाँलाकि, पटना नगर निगम ने परियोजना के इस चरण के लिए पी.एम.यू. के साथ भी समझौता किया था।

पी.एम.यू. के साथ किए गए समझौते के अनुसार पटना नगर निगम को परियोजना आधार लागत **(तालिका 4.1)** के अनुसार पी.एम.यू. को परामर्श शुल्क का भुगतान करना था।

तालिका 4.1: पी.एम.यू. को किए जाने वाले परामर्श शुल्क का भुगतान

(₹ लाख में)

परियोजना का नाम	परियोजना की आधार राशि	कुल परामर्शी शुल्क (परियोजना की आधार राशि का 4.14 प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
पटना चरण–I	2,583.33	106.95
पटना चरण–II	3,539.10	146.52
पटना चरण–III	4,504.50	186.49
कुल	**10,626.93**	**439.96**

*(**स्रोत**: प.न.नि. द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)*

एकरारनामा के अनुसार पटना नगर निगम को कार्यों की प्रगति के आधार पर पाँच भागों[62] में पी.एम.यू. को परामर्श शुल्क का भुगतान करना था।

---

[61] *₹ 23.37 करोड़ आवास उपलब्ध कराने के लिए तथा ₹ 3.13 करोड़ आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए था।*

[62] *(1) एकरारनामा के समय: 20 प्रतिशत (2) लाभार्थियों के सत्यापन एवं बैंक में खाता खुलवाने तथा आवासीय इकाईयों का यथानुपात आधार पर डिजाईन उपलब्ध कराने पर: 20 प्रतिशत (3) डी.पी.आर. के आधारभूत संरचना घटक के सत्यापन एवं भौतिक सर्वेक्षण पूर्ण होने पर: 25 प्रतिशत (4) आधारभूत संरचना कार्य के लिए ड्रॉइंग, एस्टीमेट EoI और RFP तैयार करने पर: 20 प्रतिशत और (5) आधारभूत संरचना अव्यब के अंतिम मापीपुस्त को नगर निगम को जमा करने पर: 15 प्रतिशत (कुल: 100 प्रतिशत)।*

पी.एम.यू. ने काम प्रारंभ किया लेकिन परियोजनाओं के चरण I और II के तहत् काम के समस्त दायरे को पूरा नहीं कर सका। पी.एम.यू. ने परियोजना के तीनों चरणों के लिए ₹ 328.87 लाख (सेवा कर सहित) जो कि कुल परामर्श शुल्क का 65 प्रतिशत[63] था, का दावा (मार्च 2016 से अप्रैल 2017) किया। हाँलाकि, पटना नगर निगम ने केवल ₹ 139.41 लाख[64] का दावा स्वीकार किया क्योंकि परियोजना के चरण–III से संबंधित कार्य बुडको को सौंपा गया था। स्वीकृत दावा ₹ 139.41 लाख[65] (आयकर और सेवाकर सहित) के विरुद्ध प.न.नि. ने अप्रैल 2016 में ₹ 100.31 लाख और अक्टूबर 2016 में ₹ 46.19 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार, ₹ 139.41 लाख के स्वीकृत दावों के विरुद्ध पटना नगर निगम ने अक्टूबर 2016 तक कुल राशि ₹ 146.50 लाख (करों सहित) का भुगतान पी.एम.यू. को कर चुका था और इस तरह ₹ 7.09 लाख का अधिक भुगतान किया था।

इसके अलावा, पटना नगर निगम परामर्श शुल्क के भुगतान पर निगरानी नहीं रख सका और अक्टूबर 2016 में किए गए ₹ 46.19 लाख के भुगतान को नजरअंदाज करते हुए पी.एम.यू. को ₹ 39.10 लाख का एक और भुगतान किया (जुलाई 2017) जिसके परिणामस्वरूप दोहरा भुगतान हुआ। इस प्रकार, ₹ 139.41 लाख के स्वीकृत दावों के विरुद्ध पी.एम.यू. को कुल ₹ 185.60 लाख[66] (करों सहित[67]) का भुगतान किया गया जो स्वीकृत दावों से ₹ 46.19 लाख अधिक था। पटना नगर निगम ने पी.एम.यू. को सौंपे गए सभी कार्यों से मुक्त कर दिया (जुलाई 2018) क्योंकि एकरारनामा मार्च 2018 को समाप्त हो गया था।

आगे, यह देखा गया कि पटना नगर निगम के लेखापाल ने उपरोक्त लेनदेन के लिए रोकड़ बही/ बैंक बही का रखरखाव नहीं किया था, हाँलाकि यह बी.एम.ए.आर. के नियम 10 के तहत् आवश्यक था। परिणामस्वरुप, नगर निगम के पदाधिकारी किए गए व्यय को सत्यापित करने में विफल रहे थे। इसके अलावा, राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार और पटना नगर निगम के कानूनी सलाहकार की राय के अनुसार परियोजना के तहत् आवासीय इकाईयों का क्षेत्र 60 वर्गमीटर से कम होने

---

[63] *(1) एकरारनामा के समयः 20 प्रतिशत (2) लाभार्थियों के सत्यापन एवं बैंक में खाता खुलवाने तथा आवासीय इकाईयों का यथानुपात आधार पर डिजाईन उपलब्ध कराने परः 20 प्रतिशत (3) डी.पी.आर. के आधारभूत संरचना घटक के सत्यापन एवं भौतिक सर्वेक्षण पूर्ण होने परः 25 प्रतिशत*

[64] *पटना चरण I और पटना चरण II के परामर्शी शुल्क का 55 प्रतिशत अर्थात ₹ 253.47 लाख (₹ 106.95 लाख + ₹ 146.52 लाख)। 55 प्रतिशत स्वीकृत दावे में 20 प्रतिशत एकरारनामा के निष्पादन के लिए, 20 प्रतिशत लाभार्थियों के सत्यापन और बैंक में खाते खोलने के लिए और 15 प्रतिशत भौतिक सर्वेक्षण पूरा करने और डी.पी.आर. के आधारभूत संरचना घटक के सत्यापन के लिए था।*

[65] *पी.एम.यू. ₹114.38 लाख, सेवाकरः ₹12.32 लाख (पी.एम.यू. को) और आयकरः ₹ 12.71 लाख*

[66] *₹ 100.31 लाख अप्रैल 2016 में (पी.एम.यू. को ₹ 79.19 लाख + पी.एम.यू. को सेवाकर के रूप में ₹ 12.32 लाख और आयकर को ₹ 8.80 लाख), अक्टूबर 2016 में ₹ 46.19 लाख (पी.एम.यू. को ₹ 41.79 लाख और आयकर को ₹ 4.40 लाख) और जुलाई 2017 में ₹ 39.10 लाख (पी.एम.यू. को ₹ 35.19 लाख और आयकर को ₹ 3.91 लाख)*

[67] *पी.एम.यू.: ₹ 156.17 लाख, सेवाकरः ₹ 12.32 लाख (पी.एम.यू. को) और आयकरः ₹ 17.11 लाख*

के कारण सेवाकर *पी.एम.यू.* को देय नहीं था। हालाँकि, प.न.नि. ने *पी.एम.यू.* को ₹ 12.32 लाख की राशि के सेवाकर का भुगतान किया (अप्रैल 2016) जो अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि अनुवर्ती (फौलोअप) कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में हुई प्रगति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा। हालाँकि, स्मारित करने के बावजूद नगर आयुक्त से आगे का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2022) है।

इस प्रकार, योजना निधियों से किए गए भुगतानों पर निगरानी रखने में विफलता, रोकड़ बही/ बैंक बही का संधारण न करना और पी.एम.यू. को परामर्शी शुल्क के भुगतान से पहले नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक जाँच न करना, आंतरिक नियंत्रण में गंभीर चूकों को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप, प.न.नि. ने पी.एम.यू. को ₹ 46.19 लाख का अधिक भुगतान किया, साथ ही योजना निधि से सेवाकर के मद में ₹ 12.32 लाख का अनियमित भुगतान भी किया।

मामला विभाग को प्रतिवेदित (दिसंबर 2021) किया गया तथा 11 अक्टूबर 2022 को स्मार पत्र जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है।

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
बिहार, पटना

पटना
दिनांकः 13 अप्रैल 2023